हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्याः वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1-24/2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2021 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 7 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होंगी।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 को हिमाचल प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और निगमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य पर है। गत् पांच दशकों में राज्य में अनेक सरकारी महाविद्यालयों के साथ–साथ प्राईवेट

महाविद्यालय भी खोले गए हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की पहुंच में अभिवृद्धि करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक और विश्वविद्यालय नामतः सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश को स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। नए विश्वविद्यालय की स्थापना से सहबद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी नियन्त्रण होगा और यह पर्यवेक्षण में भी सहायक होगा। इसलिए राज्य के क्षेत्र को दो विश्वविद्यालयों की अधिकारिता के अधीन लाने और अधिकारिता के किसी विवाद को दूर करने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(गोविन्द सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख ....., 2021

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendement of section 7.—In the Himachal Pradesh University Act, 1970, in Section 7, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the areas as notified by the State Government.".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh University Act, 1970 was enacted to establish and incorporate a University in Himachal Pradesh. Presently, this university has jurisdiction all over the State. In the last five decades many Government colleges as well as Private colleges have opened in the State. To improve the access of the students for higher education and to improve the quality of education, it has been decided to establish another University namely the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh. The establishment of the new University will help in effective control and supervision over the affiliated colleges. Thus, in order to bring the area of the State under the jurisdiction between two Universities and to avoid any conflict of jurisdiction an amendment is required in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GOVIND SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
The……., 2021